न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 86/19

GCMS NO 2019/00181

1. रमेश चंद
2. शिवदयाल
3. प्रेमचंद पिसरान नत्थू जातियान स्वर्णकार निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. केसरी पुत्र मूलचंद जाति मीना निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर
2. रामजीलाल पुत्र मूलचंद जाति मीना निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर
3. धनेसरी पुत्र मूलचंद जाति मीना निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 147/08 व 252/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.19 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री आर.डी.त्रिवेदी

अभिभाषक रेस्पो0 श्री हरिशंकर शर्मा

दिनांक 27.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.19 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा वाद पत्र इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय के पेश किया कि ग्राम बगलाई की आराजी खसरा न0 871 बंजड सिवायचक स्थित रहा है। जिसमे से 2 बीघा भूमि का आवंटन वादीगण के पिता नत्थू पुत्र सुखलाल को हुआ। जिसका नामा0 न0 607 दिनांक 15.9.74 मे हो चुका है। जमाबंदी सम्वत 2028 लगायत 2031 मे उक्त नामा0 का अमल वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। जिसमे सहवन से नामा0 संख्या 67 दिनांक 15.9.74 गलती से लिख दिया। जबकि सही नामा0 न0 607 दिनांक 15.9.74 है। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा लगान भी वादीगण अदा करते चले आ रहे है । हाल बन्दोबस्त मे उक्त भूमि का इन्द्राज बन्दोबस्त अधिकारियो द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी न0 1 केसरी के नाम हाल ख0न0 1828 रकबा 98 ऐयर दर्ज कर दिया है। जिस पर कब्जा वादीगण का है। प्रतिवादी न0 1 केसरी के नाम हाल बन्दोबस्त से पूर्व किसी भी किश्म की भूमि का इन्द्राज नही है। उसके द्वारा गलत रूप से दर्ज करवाया गया था। वादीगण की भूमि 2 बीघा अर्थात 50 ऐयर को हाल ख0न0 1828 रकबा 98 ऐयर मे जानिब दिशा पूर्व का शामिल कर दिया, कार्यवाही बन्दोबस्त हाल विदाउट ज्यूरिडिक्शन है व फ्राड नल एण्ड वोईड है व हक हकूक वादीगण पर बेअसर है। गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु दावा इस्तकरारहक खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ। हाल बन्दोबस्त मे ख0न0 1828 को साबिक ख0न0 871/19/11 से बनना अपने मिलान क्षैत्रफल मे दर्ज किया जो पूर्णरूपेण गलत है। जिसकी दुरूस्ती कर उसकी जगह पर 871/19/1 दर्ज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.7.98 को ग्राम बगलाई मे धमकी दी कि वह वादीगण को भूमि से लाभान्वित नही होने देंगे, इसलिए दावा डिक्री किया जाकर ख0न0 1828 रकबा 98 ऐयर मे से 50 ऐयर रकबा जानिब दिशा पूर्व का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त मे वादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र प्रतिवादीगण के बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने से एक पक्षीय डिक्री किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 4.12.2000 प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी/रेस्पो0 स्वीकार किये जाने पर निर्णय दिनांक 4.12.2000 को निरस्त कर दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर मुकदमा न0 147/08 पर दर्ज हुआ। एक अन्य दावा रमेश बनाम केसरी वगै0 द्वारा दिनांक 15.3.2000 को इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा न0 1828 रकबा 98 ऐयर मे से 50 ऐयर पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 जबरन कब्जा करना चाहते है। इसलिए उन्हे पाबन्द फरमाया जावे। इस दावे का मुकदमा न0 252/08 उनवानी रमेश बनाम केसरी रहा। दोनो दावे एक ही भूमि खसरा न0 1828 से संबंधित होने से समेकित किये गये। एक व्यक्ति चिरंजीलाल ने भी गत खसरा न0 871 मे से उसे भूमि आवंटन होने के आधार पर पेश किया। उस दावे उनवानी चिरजीलाल बनाम केसरी मुकदमा न0 148/08 को दावा संख्या 147/08 व 252/08 के साथ समेकित कर तीनो दावो को एक साथ तनकीयात कायम की जाकर निर्णित करते हुए तीनो दावे खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दावा संख्या 147/08 व 252/08 मे पारित निर्णय दिनांक 1.10.19 के विरूद्व यह अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री,साक्ष्य एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता को भूमि खसरा न0 871 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसका राजस्व रिकार्ड मे बतौर गैरखातेदार नाम दर्ज हो गया। तत्पश्चात भूमि का गैर खातेदारी से [illegible] किया गया। इस बात पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर कानूनी भूल की है। प्रत्य[illegible]गण [illegible] खसरा न0 871 मे से कोई भूमि आवंटित नही हुई है । भूमि ख0न0 871 [illegible] निवासी कुडावदा तहसील सपोटरा को आवंटित हुई थी। उस भूमि से प्रत्यर्थीगण का कोई संबंध वास्ता नही है और केसरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पुत्र मूल्या उक्त श्रीलाल का कोई वारिस भी नही है। इसलिए खसरा न0 871 से बने किसी भी नयें नम्बर से केसरी वगै0 का कोई संबंध वास्ता नही है। इसको ध्यान देने मे अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। प्रत्यर्थीगण की और से अधिनस्थ न्यायालय मे दावो के विचारणार्थ कोई साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी पेश नही की गई है। इस बात पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान न देने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो को सही प्रकार से अनुशीलन नही किया है। नामा0 प्रदर्श 5 के द्वारा भूमि प्रार्थी अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई है। इस बात को नजर अन्दाज करते हुए फैसला देने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा संख्या 148/08 को अन्य दो दावो के साथ गलत रूप से समेकित किया है। जबकि मुकमदा उनवानी चिरंजी बनाम केसरी के पक्षकार एवं भूमि मु0न0 147/08 व 152/08 भिन्न है। इस पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपील अपीलांट अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण के हक मे भूमि हाल खसरा न0 1828 रकबा 50 ऐयर वाके ग्राम बगलाई तहसील वजीरपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे न अन्य से करावे प्रत्यर्थी संख्या 4 को आदेश दिये जावे कि भूमि खसरा न0 1828 मे से 50 ऐयर भूमि का इन्द्राज अपीलार्थीगण के हक मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया कि भूमि खसरा न0 1828 रकबा 98 ऐयर से अपीलांट/वादीगण का कोई संबंध नही है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0न0 1827 का रकबा 27 ऐयर कम दर्ज किया है । हाल सेटलमेंट मे मिलान क्षैत्रफल मे साबिक ख0न0 871/19/11 से बनना सही दर्ज किया है। खसरा न0 1828 मौके पर एक ही खेत है , साबिक की तुलना मे रेस्पो0 का रकबा 27 ऐयर कम दर्ज होकर आया है। अपीलांट का कथन रहा कि भूमि खसरा न0 871 मे से 2 बीघा भूमि का आवंटन वादीगण के पिता नत्थू पुत्र सुखलाल को हुआ। परन्तु उनके द्वारा इसके सर्मथन मे किसी प्रकार का दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही करने के कारण ही तनकी संख्या 1 को साबित नही कर पाया है उसके द्वारा भूमि 5 बीघा का आवंटन पटटा प्रदर्श 6 पेश किया गया है जबकि दावे मे उसके द्वारा 2 बीघा का आवंटन होने का तथ्य अंकित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत पटटा 5 बीघा का पेश किया है तो नामा0 2 बीघा का ही क्यो खोला गया है। भूमि हाल खसरा न0 1828 रेस्पो0 न0 1 की खातेदारी मे दर्ज है। जिसकी पुष्टि रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 209 आर टी एक्ट के प्रार्थना पत्र के द्वारा की गई है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक माना है। अपीलांट/वादीगण द्वारा चालाकी से दावा एक पक्षीय डिक्री करवाकर खातेदारी 50 ऐयर भूमि को अपने नाम [illegible] गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का [illegible] किया जाकर ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:25 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट के कथन अनुसार भूमि साबिक खसरा न0 871 मे से 2 बीघा का आवंटन वादीगण के पिता नत्थू पुत्र सुखलाल को होना बताया है। जिसका नामा0 न0 607 दिनांक 15.9.74 मे हो चुका है। जमावंदी सम्वत 2028 लगायत 2031 मे उक्त नामा0 का अमल वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। बन्दोवस्त अधिकारियो द्वारा गलत रूप से रेस्पो/प्रतिवादी न0 1 केसरी के नाम हाल ख0न0 1828 रकवा 98 ऐयर दर्ज कर दिया है। जिस पर कब्जा वादीगण का है। बन्दोबस्त से पूर्व केसरी के नाम किसी भी किश्म की भूमि का इन्द्राज नही है। उसके द्वारा गलत रूप से दर्ज करवा लिया था। वादीगण की भूमि 2 बीघा अर्थात 50 ऐयर को हाल ख0न0 1828 रकबा 98 ऐयर मे जानिब दिशा पूर्व का शामिल कर दिया। जबकि रेस्पो0 का कथन रहा कि भूमि खसंरा न0 1828 रकवा 98 ऐयर की खातेदारी शुरू से ही रेस्पो0 के नाम दर्ज रही है बन्दोबस्त विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई रकबा रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज नही किया गया है। इस तथ्य को सावित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की जाकर उसको सिद्व करने का भार वादी/अपीलाट को दिया गया था परन्तु अपीलांट/वादी इस तनकी को सिद्व करने मे असफल रहे है। अपीलांट के कथन अनुसार उनके पिता को 2 बीघा का आवंटन हुआ था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत आवंटन पटटा प्रदर्श 6 मे भूमि 5 बीघा के आवंटन होने का अंकन है। इस प्रकार जब आवंटन 5 बीघा का हुआ था तो नामा0 2 बीघा का ही क्यो खोला गया। इस तथ्य को भी अपीलांट /वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे साबित करने मे असफल रहे है ना ही अपील मे सिद्व कर पाये है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 खसरा न0 1828 रकबा 98 ऐयर की खातेदारी रेस्पो0केसरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट/वादी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व मे खसरा न0 1828 मे केसरी के खाते मे कितनी भूमि थी तथा बन्दोबस्त द्वारा अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे से रकबा 50 ऐयर को केसरी की भूमि मे शामिल कर दिया गया। इस तथ्य के सर्मथन मे अपीलांट/वादी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करने के उपरान्त एवं वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र मे सर्मथन मे ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही करने के कारण ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 147/08 व 252/08 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:25 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर